केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन,(मु.)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
18, INSTITUTIONAL AREA,
SHAHEED JEET SINGH MARG
NEW DELHI- 110016
नई दिल्ली–110016

TEL. 26858566; FAX 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in.

अतिआवश्यक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल

एफ.110333/2017-18/के.वि.सं.मुख्या./शैक्षिक/ दिनांक 01.08.2017

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
वाराणसी/भुवनेश्वर/रायपुर/कोलकाता/गुड़गाँव/
देहरादून/भोपाल/चण्डीगढ़/दिल्ली/गौहाटी/चेन्नई/
सिलचर संभाग

विषयः- केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जोनल प्रणाली लागू होने से इसमें तालमेल बैठाने हेतु के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले समस्त केन्द्रीय विद्यालयों का पुनर्गठन किया गया जिसके कारण सत्र 2017-18 से समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में परिवर्तित पदों की संख्या की स्वीकृति के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.07.2017 के द्वारा उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन समस्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालयों से संशोधित समेकित प्रोफार्मा-ए में (Revised consolidated Proforma-A) में सूचना माँगी गई थी जिससे कि 2017-18 हेतु केन्द्रीय विद्यालयों की संशोधित स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की जा सके। परन्तु उपरोक्त संभागों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 2016-17 के स्टाफ स्वीकृति को ही परिवर्तित कर दिया गया है और किसी-किसी संभाग का डाटा ही ठीक ढ्ग से प्रेषित नहीं किया गया है, जो कि सही नहीं है क्यों कि जोनल प्रणाली का आदेश इस कार्यालय के प्रशासन अनुभाग द्वारा दिनांक 04.05.2017 से जारी किया गया है जो कि सत्र 2017-18 से प्रभावी होगा न कि सत्र 2016-17 से। सत्र 2016-17 की स्टाफ स्वीकृति जो कि 31.03.2017 तक है उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अतः सत्र 2016-17 के पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा केवल सत्र 2017-18 के पदों में ही नियमानुसार परिवर्तन हो सकता है। अतएव जोनल प्रणाली लागू होने से सत्र 2017-18 में केन्द्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या में परिवर्तन आयेगा। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में नये सेक्शन तथा इस बीच कुछ नये केन्द्रीय विद्यालय भी प्रशासन-1 अनुभाग द्वारा खोले गये हैं जिसमें नये पदों को स्वीकृत करने की आवश्यकता होगी।

अतः केन्द्रीय विद्यालयों के पुनर्गठन एवं कुछ विद्यालयों में नये सेक्शन आरंभ होने एवं सत्र 2017-18 में कुछ नये केन्द्रीय विद्यालय अथवा द्वितीय पाली (2nd shift) भी प्रशासन-1 अनुभाग द्वारा खोले गये हैं जिसमें पदों की संख्या को पुनःनिर्धारित करने एवं नये पदों को स्वीकृत करने के संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने-अपने संभाग का संशोधित समेकित प्रोफार्मा-ए (Revised Consolidated Proforma-A) इस कार्यालय को दिनांक 04.08.2017 तक अवश्य प्रेषित करें जिससे कि पुनःनिर्धारित पदों की स्वीकृत प्रदान करने पर विचार किया जा सके। ध्यान रखें सूचना प्रेषित करने से पहले इसको अच्छी तरह से जाँच लिया जाये। अन्यथा इसको सक्षम अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,
02/8/17
(डॉ.शचीकान्त)
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

प्रतिः-
1- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिनसुकिया/ हैदराबाद एवं मुंबई संभाग से अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जब कि जानकारी प्रेषित करने की तारीख दिनांक 14.07.2017 थी। अतएव आपसे अनुरोध है कि सही-सही जानकारी संशोधित समेकित प्रोफार्मा-ए (Revised Consolidated Proforma-A) में अविलम्ब प्रेषित करें ताकि केन्द्रीय विद्यालयों की संशोधित स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की जा सके। ध्यान रखें सूचना प्रेषित करने से पहले इसको अच्छी तरह से जाँच लिया जाये। अन्यथा इसको सक्षम अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

2- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन,बंगलौर/जबलपुर/ पटना/जयपुर/जम्मू/ आगरा/ अहमदाबाद/ एरणाकुलम्/ राँची एवं लखनऊ संभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं परन्तु इनसे पुनः अनुरोध है कि यदि आपके संभाग के अधीन इस दौरान कोई नया केन्द्रीय विद्यालय या किसी केन्द्रीय विद्यालय में नया सेक्शन खोला गया हो या कम किया गया हो अथवा किसी अन्य कारणों से नियमानुसार पदों में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संशोधित समेकित प्रोफार्मा-ए (Revised Consolidated Proforma-A) में अविलम्ब प्रेषित करें। ध्यान रखें सूचना प्रेषित करने से पहले इसको अच्छी तरह से जाँच लिया जाये। अन्यथा इसको सक्षम अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

02/8/17